संoसंo—16 / एम.1—62 / 2025 —

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना—800015

पटना, दिनांक—

विषयः— **मधेपुरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।**

प्रसंगः— **वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/ 0640/2088(25) dated 27-12-2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन सख्या 08 / 2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—305(आoचिo), दिनांक—14.03.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण / जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति नही मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0—743(आoचिo), दिनांक—19.07.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल / सदर अस्पताल / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला संयुक्त औषधालयों / राजकीय औषधालयो / आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ0चि0) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों / फिजिशियनों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को [illegible] के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग के प्रासगिक पत्र के आलोक मे जिन नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा (दिनांक—20.07.2024 के उपरांत प्रभार ग्रहण किया

F \Madhepura\Update Letter docx

गया है) विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है —

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हुआ हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या/निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF संख्या	उपस्थिति विवरणी	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० तबस्सुम सुल्ताना, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, मधुकरचक, बिहारीगज, मधेपुरा	दिनाक—18 03 2024 से 22 07 2024 तक 127 दिन	—	5122425057707	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
2	डा० मो० शफी आलम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, चिकनी, रानीपोखर,फुलकाहा, गम्हरिया, मधेपुरा	दिनाक—15 03 2024 से 22 07 2024 तक 130 दिन	—	6122425057810	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
3	डा० सबिहा सालकिन, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति0प्रास्वा0 केन्द्र, कबियाही, शकरपुर, मधेपुरा	दिनाक—19 03 2024 से 21 07 2024 तक 125 दिन	—	18122425058537	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—18/एम.1—62/2025 — 683— (आ0चि0)/पटना, दिनांक—29.4.2026

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सिविल सर्जन, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा/संबंधित सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/04/2026

सरकार के अवर सचिव

F \Madhepura\Update Letter docx